कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 223/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 11.06.2026

थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

☐ हत्या के मुकदमे में वांछित दो अभियुक्तों को दीदारगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार

☐ पुरानी रंजिश में मारपीट कर हत्या करने की घटना का सफल अनावरण

घटना का विवरण-

दिनांक 10.06.2026 को वादिनी श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व0 अखिलेश निवासी भादों थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 109/2026 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया। आरोप था कि दिनांक 09.06.2026 की रात्रि में पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण द्वारा उनके पति अखिलेश के साथ मारपीट कर उन्हें खेत में अचेत अवस्था में छोड़ दिया गया था। उपचार हेतु अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक दीदारगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 11.06.2026 को भादों मोड़ (मार्टिनगंज बाजार) से अभियुक्त सभाजीत गौतम एवं श्यामजीत गौतम को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सभाजीत गौतम पुत्र रामसेवक निवासी भादों थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
2. श्यामजीत गौतम पुत्र रामसेवक निवासी भादों थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 109/2026 धारा 105 बीएनएस, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 पंकज कुमार सिंह (चौकी प्रभारी) मय हमराह का0 सत्येन्द्र कुमार गुप्ता, का0 निशान्त त्रिपाठी, का0 हीतेन्द्र कुमार एवं रि0 आरक्षी सुशील प्रजापति, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

☐ साइबर हेल्प डेस्क सरायमीर की त्वरित कार्रवाई, गलत UPI ट्रांजेक्शन के ₹2,000 पीड़ित को कराए गए वापस

☐ NCRP पोर्टल पर दर्ज शिकायत का सफल निस्तारण, होल्ड कराई गई धनराशि खाताधारक के खाते में लौटाई गई

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.01.2026 को अबू हमजा पुत्र मो0 खालिद निवासी नन्दाव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा गलतीवश ₹2,000 एक गलत UPI नम्बर पर स्थानांतरित हो गए थे। इस संबंध में पीड़ित द्वारा NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33101260012032 दर्ज कराई गई थी।

शिकायत प्राप्त होने के उपरांत थाना सरायमीर की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक एवं नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त धनराशि को होल्ड कराया गया। तत्पश्चात आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 10.06.2026 को MRM पोर्टल के माध्यम से होल्ड की गई संपूर्ण धनराशि ₹2,000 पीड़ित के बैंक खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

पुलिस टीम-

उ0नि0 नीरज गौड़, का0 सोनू कुमार गुप्ता, का0 इन्द्रजीत यादव एवं म0का0 ममता सिंह, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

□ ऑपरेशन नई किरण के तहत अतरौलिया पुलिस ने पति-पत्नी के पारिवारिक विवाद का कराया सफल निस्तारण

□ काउंसलिंग एवं समझाइश के बाद दंपति पुनः साथ रहने को हुए राजी, परिवार में लौटी खुशियां

घटना का संक्षिप्त विवरण-

महिला सुरक्षा, सम्मान एवं पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण निस्तारण हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन नई किरण* अभियान के तहत दिनांक 09.06.2026 को आवेदक मुकेश पुत्र नौमी निवासी ग्राम गोरहरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उनके पिता नौमी द्वारा उनकी माता रेखा गौड़ को विगत लगभग दो वर्षों से दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। प्राप्त प्रार्थना-पत्र के क्रम में थानाध्यक्ष अतरौलिया के निर्देशन में मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

समझौते का विवरण-

ऑपरेशन नई किरण के अंतर्गत दिनांक 11.06.2026 को दोनों पक्षों को थाना अतरौलिया पर बुलाकर काउंसलिंग की गई। थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे द्वारा गांव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं परिजनों की उपस्थिति में दोनों पक्षों को समझाया-बुझाया गया। समझाइश एवं काउंसलिंग के उपरांत पति-पत्नी ने अपने परिवार एवं बच्चों के भविष्य को देखते हुए आपसी मतभेद समाप्त कर पुनः साथ रहने तथा अपना दाम्पत्य जीवन सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यतीत करने की सहमति व्यक्त की।

उक्त समझौते में आवेदक मुकेश पुत्र नौमी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोनों पति-पत्नी ने एक-दूसरे को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर पुनः साथ रहने का संकल्प लिया, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल स्थापित हुआ।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे, रि0 का0 शिवम कुमार एवं म0का0 निधि मिश्रा, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

□ मदरसा आधुनिकीकरण योजना में राजकीय धन के गबन के मामले में दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ EOW की जांच में प्रकाश में आए अभियुक्तों को फूलपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.02.2025 को वादी निरीक्षक कुँवर ब्रम्ह प्रकाश सिंह, राज्य विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (EOW) मुख्यालय लखनऊ द्वारा थाना फूलपुर पर लिखित सूचना दी गई कि मदरसा अरबिया तहतानिया भीखपुर (मदरसा आईडी-191100096) द्वारा भवन एवं छात्र संख्या से संबंधित तथ्यों को पोर्टल पर गलत ढंग से प्रदर्शित कर मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त राजकीय धनराशि का दुरुपयोग एवं गबन किया गया है। जांच में मदरसा प्रबंधक रियाज अहमद द्वारा ₹66,000/- राजकीय धन के गबन का मामला प्रकाश में आया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 69/2025 धारा 409/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त रियाज अहमद, शरद यादव एवं धर्मेन्द्र कुमार यादव का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार (IPS) द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक फूलपुर के नेतृत्व में थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11.06.2026 को अभियुक्त शरद यादव एवं धर्मेन्द्र कुमार यादव को अम्बारी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. शरद यादव पुत्र स्व0 श्रीकृष्ण बहादुर यादव, निवासी ग्राम रसूलपुर जोखू, पोस्ट अम्बारी, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 32 वर्ष।
2. धर्मेन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व0 सम्पत यादव, निवासी ग्राम इब्राहिमपुर, पोस्ट अम्बारी, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 45 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 69/2025 धारा 409/420/467/468/471 भादवि, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 69/2025 धारा 409/420/467/468/471 भादवि, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। (शरद यादव)
2. मु0अ0सं0 69/2025 धारा 409/420/467/468/471 भादवि, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। (धर्मेन्द्र कुमार यादव)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार, का0 दयाशंकर यादव, का0 अमरजीत निषाद एवं रि0का0 अमित यादव, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

□ जानलेवा हमला करने वाले 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ फूलपुर पुलिस ने मारपीट के मुकदमे का किया सफल अनावरण, आलाजुर्म डंडा एवं लोहे की रॉड बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.06.2026 को वादी मुकेश पुत्र रमेश निवासी ग्राम टेऊंगा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 09.06.2026 को सायं लगभग 06:00 बजे उसके भाई राकेश पुत्र रमेश पर पुरानी रंजिश को लेकर धर्मेन्द्र, रविन्द्र, दीपक एवं कुलदीप निवासीगण सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लाठी-डंडा एवं लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। शोर सुनकर आसपास के लोगों के आने पर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 194/2026 धारा 109(1)/115(2)/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 अजीज खान द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी/अनावरण का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.06.2026 को टेऊंगा नहर पुलिया के पास से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चारों वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद डंडा एवं एक अदद लोहे की रॉड/पाइप बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. धर्मेन्द्र पुत्र बनवारी लाल निवासी सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 32 वर्ष।
2. रविन्द्र पुत्र बनवारी लाल निवासी सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 46 वर्ष।
3. दीपक पुत्र रविन्द्र निवासी सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष।
4. कुलदीप पुत्र रविन्द्र निवासी सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 23 वर्ष।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त एक अदद डंडा एवं एक अदद लोहे की रॉड/पाइप।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 194/2026 धारा 109(1)/115(2)/351(3)/352 बीएनएस, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अजीज खान, का0 रोहित शर्मा, का0 राजकुमार, का0 सौरभ यादव एवं का0 अश्वनी यादव, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

□ गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ तहबरपुर पुलिस ने गैंग के सक्रिय सदस्य को दबोचा, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.06.2026 को थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0 91/2026 धारा 2(b)(xvii)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में गैंग लीडर रोहित यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी ग्राम कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर तथा गिरोह के सदस्य आविद पुत्र आसिक अली निवासी तेतारपुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी एवं अखिलेश कुमार पुत्र सुदामा यादव निवासी ताहिरपुर थाना करौदी कला जनपद सुल्तानपुर नामजद हैं। अभियोग की विवेचना उ0नि0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तहबरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र सुदामा यादव निवासी ग्राम ताहिरपुर थाना करौदी कला जनपद सुल्तानपुर को ओहनी अण्डरपास, थाना तहबरपुर क्षेत्र से समय 19:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अखिलेश कुमार पुत्र सुदामा यादव निवासी ग्राम ताहिरपुर थाना करौदी कला जनपद सुल्तानपुर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 91/2026 धारा 2(b)(xvii)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 80/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 दिनेश कुमार एवं रि0का0 जितेन्द्र यादव, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़

□ आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ महराजगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को भेजा न्यायालय

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.06.2026 को वादी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना-पत्र देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्त विजय निषाद द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री से पूर्व में शारीरिक संबंध बनाए गए तथा उक्त प्रकरण को दबाने के लिए विजय निषाद एवं अन्य नामजद व्यक्तियों द्वारा पीड़िता पर दबाव बनाया गया, जिससे क्षुब्ध होकर उनकी पुत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 127/2026 धारा 108 बीएनएस बनाम विजय निषाद, रामलखन निषाद, रवि यादव एवं आशा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार (IPS) द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 11.06.2026 को अभियुक्त विजय निषाद पुत्र मुन्नीलाल निषाद निवासी देवारा जदीद (नेता नगरी) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को कप्तानगंज तिराहे से समय 07:45 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विजय निषाद पुत्र मुन्नीलाल निषाद, निवासी ग्राम देवारा जदीद (नेता नगरी), थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 127/2026, धारा 108 बीएनएस, थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 संतोष कुमार, का0 विजय कुमार एवं रि0का0 आकाश कन्नौजिया, थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

□ नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ दीदारगंज पुलिस की कार्रवाई, फरार चल रहे अभियुक्त को बस स्टैंड से दबोचा

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.05.2026 को वादिनी द्वारा थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगण सुजीत यादव पुत्र रामलवट यादव एवं अमित सिंह पुत्र नरसिंह निवासीगण ग्राम पकरौल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर एवं षड्यंत्रपूर्वक भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 106/2026 धारा 87/137(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। घटना के उपरांत अभियुक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना दीदारगंज के निर्देशन में दिनांक 11.06.2026 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सुजीत यादव पुत्र रामलवट यादव निवासी ग्राम पकरौल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को दीदारगंज बाजार स्थित बस स्टैंड से समय लगभग 06:35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुजीत यादव पुत्र रामलवट यादव, निवासी ग्राम पकरौल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 106/2026, धारा 87/137(2)/61(2) बीएनएस, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 पंकज कुमार सिंह (चौकी प्रभारी) मय हमराह का0 सत्येन्द्र कुमार गुप्ता, का0 निशान्त त्रिपाठी एवं का0 हीतेन्द्र कुमार, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/ऑपरेशन नई किरण, जनपद आजमगढ़

□ ऑपरेशन नई किरण के तहत एक बिखरे परिवार को पुनः मिलाया गया

□ परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की बैठक में 06 प्रकरणों की सुनवाई, 01 प्रकरण का सफल निस्तारण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 11.06.2026 को थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/ऑपरेशन नई किरण की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल 06 पत्रावलियों में पक्षकारों को नोटिस एवं दूरभाष के माध्यम से मिडिएशन हेतु बुलाया गया, जिनमें से 03 प्रकरणों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। विस्तृत काउंसलिंग एवं समझाइश के उपरांत 01 प्रकरण में पति-पत्नी के मध्य चल रहे विवाद का सौहार्दपूर्ण निस्तारण कराते हुए समझौता कराया गया तथा परिवार को पुनः एकजुट किया गया।

उक्त प्रकरण में आवेदिका द्वारा पति एवं ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने तथा स्त्रीधन हड़पने का आरोप लगाया गया था। काउंसलरों द्वारा दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने के पश्चात आपसी सहमति से समझौता कराया गया। शेष प्रकरणों में अग्रिम तिथि निर्धारित कर दोनों पक्षों को पुनः उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया है।

ऑपरेशन नई किरण का उद्देश्य बिखरे हुए परिवारों को पुनः जोड़ना, वैवाहिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराना तथा पारिवारिक संबंधों में विश्वास एवं सामंजस्य स्थापित करना है।

सफल समझौता-

रीनू देवी पुत्री मंगनू यादव, निवासी ग्राम भानपुर बनतरिया, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

काउंसलिंग टीम-

उ0नि0 सत्यनारायण यादव, उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह।

कुल समझौते - 01

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

□ फर्जी मदरसा संचालित कर शासकीय व्यवस्था को गुमराह करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ SIT/EOW जांच में उजागर हुए फर्जी मदरसा प्रकरण में सिधारी पुलिस की कार्रवाई

□ मदरसा पोर्टल पर फर्जी अभिलेखों के आधार पर संचालन के मामले में अभियुक्त न्यायालय भेजा गया

घटना का विवरण-

जनपद आजमगढ़ में मदरसा पोर्टल पर पंजीकृत मदरसों के सत्यापन एवं जांच के दौरान अनेक मदरसे मानकों के विपरीत पाए गए। इसी क्रम में राज्य विशेष अपराध अनुसंधान दल (EOW) के निरीक्षक/जांचकर्ता श्री ब्रह्म प्रकाश सिंह द्वारा दिनांक 13.02.2025 को प्रार्थना-पत्र देकर अवगत कराया गया कि *मदरसा इस्लामिया मोहम्मदल्ला, सिधारी, आजमगढ़* (मदरसा आईडी-191100462) के प्रबंधक मोहम्मद अकरम पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी रैदा थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा फर्जी मदरसा संचालित कर अभिलेखों में अनियमितता की गई है।

प्रकरण के संबंध में थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0 41/2025 धारा 420/465/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ *डॉ0 अनिल कुमार* के निर्देशन में तथा *अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह* एवं *क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी* के कुशल पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11.06.2026 को थाना सिधारी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त *मोहम्मद अकरम पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी रैदा थाना पवई जनपद आजमगढ़* को मुण्डा तिराहा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोहम्मद अकरम पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी रैदा थाना पवई जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 41/2025, धारा 420/465/467/468/471 भादवि, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 धर्मराज यादव, का0 अजीत कुमार सिंह एवं का0 विनोद कुमार, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।